

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... मनीराम ..... बनाम ..... भागीरथ आदि .....

प्रकरण संख्या ..... 71 ..... / २०२२ अन्तर्गत धारा ..... २१२ RPA .....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

26/7/23 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची संख्या 4 को रोक-2 उ वार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची सं. 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कागजाती को आदेश दिए जाते हैं। जवाब सेट पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। 71 को अधिव आगामी पेशी तक बगई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 05/09/23 को पेश हो।

B

05/09/23 वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 26/09/23 को पेश हो।

26/9/23 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूरणीय जति प्राची के पक्ष में होना प्रतीत होते हैं। लिहाजा प्रकरण में जारी अस्थायी विवेचना मूलवाद के निर्णय तक अस्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से काग होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर